ऑन लाईन नं. RCMS 2025/74

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 18/2025

1. कोमल शर्मा पत्नी नीरज कुमार निवासी वार्ड नम्बर–37, काली माता मन्दिर के पास, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थिया

बनाम

1. कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, सूरतगढ जरिये बाल विकास परियोजना अधिकारी

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :–

1. अधिवक्ता अपीलार्थी श्री जितेन्द्र सरपाल
2. विभागीय प्रतिनिधि नवनीत कौर बाल विकास परियोजना अधिकारी, सूरतगढ।

अपील विरूद्ध संशोधित चयन आदेश दिनांकित 05.03.2025 कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी सूरतगढ को निरस्त किया जाकर प्रार्थीया को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में वार्ड नम्बर 37 सूरतगढ में नियुक्ति प्रदान करने बाबत।

:: आदेश :: दिनांक : 30.07.2025

अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि :–

1. यह कि अपीलार्थीया द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतु एक आवेदन–पत्र दिनांक 19.12.2024 को प्रत्यर्थी संख्या :–1 के समक्ष समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर एवं अपने शैक्षणिक दस्तावेज शामिल करते हुए ऑनलाईन किया गया था।
2. यह कि उक्त प्रत्यर्थी संख्या :–1 द्वारा उक्त आवेदन–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 05.03.2025 को विवादित आदेश पारित करते हुए अपीलार्थीया का चयन यह अंकित करते हुए नहीं किया गया कि बी.एल.ओ. की रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थीया/अपीलार्थीया वार्ड नम्बर :–37 में निवास नहीं कर रही है, और उसके स्थान पर क्रम संख्या :–2 पर वार्ड नम्बर :–37 की गंगा सांसी पत्नी नवरत्न कुमार का चयन करते हुए सूची जारी की गई।
3. यह कि प्रत्यर्थी संख्या :–1 द्वारा उक्त आदेश प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का सम्पूर्ण अवलोकन ना करते हुए उक्त विवादित आदेश पारित किया गया है जबकि अपीलार्थीया का आधार कार्ड एंव मूल निवास प्रमाण–पत्र भी वार्ड नम्बर :–37 का जारी किया हुआ है, इसके अतिरिक्त वार्ड पार्षद परसराम भाटिया द्वारा प्रार्थीया का जो चरित्र प्रमाण–पत्र जारी किया गया है उसमें भी प्रार्थीया का पता वार्ड नम्बर :–22/37 अंकित किया गया है, उक्त समस्त दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है कि प्रार्थीया वार्ड नम्बर :–37 की

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

निवासी है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीया की योग्यता प्रार्थीया के स्थान पर चयन की गई मंगा सांरी पत्नी नवरत्न कुमार से अधिक है एवं अनुभव एवं योग्यता भी अधिक है, लेकिन इन सब तथ्यों पर कोई गौर ना कर उक्त विवादित आदेश पारित किया है, जो कि विधि सम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य हैं।

4. यह कि अपीलार्थीया पूर्व से ही सहायिक के रुप में आंगनवाड़ी में सूरतगढ में ही कार्यरत है, ऐसी अवस्था में अनुभव के आधार पर भी अपीलार्थीया वरियता प्राप्त करने की अधिकारिणी है, लेकिन अधीनस्थ अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों पर कोई गौर ना कर उक्त विवादित आदेश पारित किया गया है, जो कि विधि सम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य हैं।

5. यह कि उक्त आदेश की जानकारी प्रार्थीया को सूचना के अधिकार के तहत दिनांक 04.04.2025 को प्राप्त हुई और वर्तमान में ए.डी.एम. सूरतगढ़ का पद रिक्त होने के कारण, उक्त आदेश के सम्बंध में तुरंत कार्यवाही संभव नहीं होने के कारण अपील माननीय के समक्ष बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत की जा रही हैं।

6. यह कि अपील श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की होने के कारण उचित न्यायशुल्क पर समयावधि में श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत हैं।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों व दस्तावेज को रिकोर्ड पर लिया जाकर कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी सूरतगढ़ का आदेश दिनांकित 05.03.2025 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थीया का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रुप में वार्ड नम्बर :–37 सूरतगढ़ में नियुक्ति प्रदान की जावें।

बाल विकास परियोजना अधिकारी, सूरतगढ से रिपोर्ट एवं रिकार्ड मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया।

बाल विकास परियोजना अधिकारी, सूरतगढ ने अपने जवाब पत्र क्रमांक 324 दिनांक 23.06.2025 प्रस्तुत कर निम्नानुसार अंकन किया।

1. कोमल शर्मा जो कि वर्तमान में परियोजना के आंगनबाड़ी केन्द्र वार्ड नं 22 में सहायिका के पद पर कार्यरत है।
2. कोमल शर्मा द्वारा स्थानीय निवासी हेतु पांच दस्तावेज सलंग्न किये गये है जिनमें से तीन में वार्ड नं 22 अंकित है एंव एक दस्तावेज में वार्ड नं 18 अंकित है। इनके मूल निवास में वार्ड नं 37 की मूल निवासी होना बताया गया है। निवेदन है कि उक्त मूल निवास 06.12.2024 को जारी हुआ है जबकि उक्त विज्ञिप्ति 16.11.2024 को जारी हुई थी।
3. कोमल शर्मा द्वारा दिनांक 07.12.2024 को आधार में निवास पते के अपडेशन हेतु अप्लाई किया गया था जिसकी रसीद आवेदन के साथ सलंग्न की गई थी।
4. अतः श्रीमान जी कोमल शर्मा द्वारा वार्ड नं 37 के निवासी होने का एक ही प्रमाण दिया है जो कि विज्ञिप्ति जारी होने के पश्चात बनाया गया है जबकि विभागीय चयन परिपत्र के अनुसार मूल निवास के दो प्रमाण होने अनिवार्य है अतः कोमल शर्मा उक्त चयन हेतु पात्र नहीं है।

अपीलार्थीया की ओर से अधिवक्ता अपीलार्थीया ने लिखित बहस निम्नानुसार प्रस्तुत किः–

1. यह कि अपीलार्थीया द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतु एक आवेदन–पत्र दिनांक 19.12.2024 को प्रत्यर्थी संख्या :–1 के समक्ष समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर एवं अपने शैक्षिक दस्तावेजी शामिल करते हुए ऑनलाईन किया गया था।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

2. यह कि उक्त प्रत्यर्थी संख्या :–1 द्वारा उक्त आवेदन–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 05.03.2025 को विवादित आदेश पारित करते हुए अपीलार्थीया का चयन यह अंकित करते हुए नहीं किया गया कि बी.एल.ओ. की रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थीया/अपीलार्थीया वार्ड नम्बर :–37 में निवास नहीं कर रही है, और उसके स्थान पर क्रम संख्या :–2 पर वार्ड नम्बर :–37 की गंगा सांसी पत्नी नवरत्न कुमार का चयन करते हुए सूची जारी की गई।

3. यह कि प्रत्यर्थी संख्या :–1 द्वारा उक्त आदेश प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का सम्पूर्ण अवलोकन ना करते हुए उक्त विवादित आदेश पारित किया गया है जबकि अपीलार्थीया का आधार कार्ड एंव मूल निवास प्रमाण–पत्र भी वार्ड नम्बर :–37 का जारी किया हुआ है, इसके अतिरिक्त वार्ड पार्षद परसराम भाटिया द्वारा प्रार्थीया का जो चरित्र प्रमाण–पत्र जारी किया गया है उसमें भी प्रार्थीया का पता वार्ड नम्बर :–22/37 अंकित किया गया है, उक्त समस्त दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है कि प्रार्थीया वार्ड नम्बर :–37 की निवासी हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थीया की योग्यता प्रार्थीया के स्थान पर चयन की गई गंगा सांसी पत्नी नवरत्न कुमार से अधिक है एवं अनुभव एवं योग्यता भी अधिक है, लेकिन इन सब तथ्यों पर कोई गौर ना कर उक्त विवादित आदेश पारित किया है, जो कि विधि सम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य हैं।

4. यह कि अपीलार्थीया पूर्व से ही सहायिक के रुप में आंगनवाड़ी में सूरतगढ में ही कार्यरत है, ऐसी अवस्था में अनुभव के आधार पर भी अपीलार्थीया वरियता प्राप्त करने की अधिकारिणी है, लेकिन अधीनस्थ अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों पर कोई गौर ना कर उक्त विवादित आदेश पारित किया गया है, जो कि विधि सम्मत नहीं होने के कारण आपास्त किये जाने योग्य हैं।

5. यह कि माननीय न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट को अपील के नोटिस जारी करने के पश्चात् रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 23.06.2025 को अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया है, उसमें यह अंकित किया है कि अपीलांट का मूल निवास प्रमाण–पत्र दिनांक 06.12.2024 को जारी हुआ है जबकि विज्ञप्ति दिनांक 16.11.2024 को जारी हुई थी। इस सम्बंध में निवेदन है कि अपीलांट द्वारा जब आवेदन–पत्र दिनांक 19.12.2024 को प्रस्तुत किया गया, उस समय अपीलांट के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण–पत्र उपलब्ध था एवं आवेदन–पत्र के साथ मूल निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया था, इसलिए रेस्पोडेंट का यह कथन कि बरवक्त विज्ञप्ति उसके पास मूल निवास प्रमाण–पत्र नहीं था, उक्त कथन अपने आप में हास्यस्पद है, क्योंकि अपीलांट द्वारा जब अपना आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया, उस समय उसके पास मूल निवास प्रमाण–पत्र उपलब्ध था और आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत कर दिया था ऐसी अवस्था में उक्त आधार पर चयन ना करना किसी प्रकार से न्यायोचित व विधि सम्मत नहीं हैं।

6. यह कि यहां यह भी उल्लेखनिय है कि अपीलांट द्वारा अपना आधार कार्ड भी बतौर निवास की साक्ष्य के सम्बंध में प्रस्तुत किया गया था, जिसे निवास का आधार ना मानते हुए चयन से वंचित किया गया है, जो कि उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य हैं।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों व दस्तावेज को रिकोर्ड पर लिया जाकर कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी सूरतगढ़ का

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

आदेश दिनांकित 05.03.2025 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थीया का आंगन वाडी कार्यकर्ता के रुप में वार्ड नम्बरः–37 सूरतगढ़ में नियुक्ति प्रदान की जावें।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपने जवाब के बिन्दुओं को दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया। कोमल शर्मा जो कि वर्तमान में परियोजना के आंगनबाडी केन्द्र वार्ड नं 22 में सहायिका के पद पर कार्यरत है। कोमल शर्मा द्वारा स्थानीय निवास बाबत पांच दस्तावेज सलंग्न किये गये है जिनमें से तीन में वार्ड नं 22 अंकित है एंव एक दस्तावेज में वार्ड नं 18 अंकित है। इनके मूल निवास में वार्ड नं 37 की मूल निवासी होना बताया गया है। उक्त मूल निवास 06.12.2024 को जारी हुआ है जबकि उक्त विज्ञिप्ती 16.11.2024 को जारी हुई थी। कोमल शर्मा द्वारा दिनांक 07.12.2024 को आधार में निवास पते के अपडेशन हेतु अप्लाई किया गया था जिसकी रसीद आवेदन के साथ सलंग्न की गई थी। अतः श्रीमान जी कोमल शर्मा द्वारा वार्ड नं 37 के निवासी होने का एक ही प्रमाण दिया है जो कि विज्ञिप्ति जारी होने के पश्चात बनाया गया है जबकि विभागीय चयन परिपत्र के अनुसार मूल निवास के दो प्रमाण होने अनिवार्य है अतः कोमल शर्मा उक्त चयन हेतु पात्र नहीं है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली, रिपोर्ट एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

उपनिदेशक महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर के पत्रांक दिनांक 12.03.24 विज्ञप्ति सं0 02/2024 के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र वार्ड नं 37 सूरतगढ में कार्यकर्ता के रिक्त पदो हेतु आवेदन चाहे गये थे। उपनिदेशक, महिला एवं बाल विभाग विभाग, श्रीगंगानगर ने निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर के आदेश क्रमांकः प.11(3)10/मो./आईसीडीएस/2022/4244 जयपुर 12.01.2023 की पालना में जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों के रिक्त पदो की विज्ञप्ति दिनांक 16.11.2024 को जारी की गई। उक्त विज्ञप्ति में अंकित रिक्त पदो हेतु जारी पदो के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर विभाग के परिपत्र 4244 दिनांक 12.01.2023 में दिये गये निर्देशानुसार चयन किया जाना है।

अधिवक्ता अपीलार्थीया का यह कथन कि अपीलार्थीया द्वारा आवेदन पत्र के साथ निवास के सम्बन्ध में 5 दस्तावेजात पेश किये गये थे जिसमें से तीन पर वार्ड नम्बर 22 अंकित है एवं एक दस्तावेज वार्ड नम्बर 18 का अंकित है एवं मूल निवास प्रमाण पत्र में वार्ड नम्बर 37 अंकित कर वार्ड नम्बर 37 की निवासी होना बताया गया है। प्रथमदृष्टया इन दस्तावेजात के आधार पर यह अपने आप में प्रमाणित होता है कि अपीलार्थीया मनमर्जी से अपना पता परिवर्तन करवाकर किसी भी वार्ड की निवासी होने का साक्ष्य पेश कर सकती है, जो विधिसम्मत् नहीं है। विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस एवं जवाब में भी यह कथन किया है कि आवेदनकर्ता कोमल शर्मा द्वारा स्थानीय निवास बाबत पांच दस्तावेज सलंग्न किये गये है जिनमें से तीन में वार्ड नं 22 अंकित है एंव एक दस्तावेज में वार्ड नं 18 अंकित है। इनके मूल निवास में वार्ड नं 37 की मूल निवासी होना बताया गया है। उक्त मूल निवास 06.12.2024 को जारी हुआ है जबकि उक्त विज्ञप्ति 16.11.2024 को जारी हुई थी। कोमल शर्मा द्वारा दिनांक 07.12.2024 को आधार में निवास पते के अपडेशन हेतु आवेदन किया गया था जिसकी रसीद आवेदन के साथ सलंग्न की गई थी। अतः श्रीमान जी कोमल शर्मा द्वारा वार्ड नं 37 के निवासी होने का एक ही प्रमाण दिया है जो कि विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात बनाया गया है जबकि विभागीय चयन परिपत्र के अनुसार मूल निवास के दो प्रमाण होने अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अपीलार्थीया द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत वार्ड पार्षद परसराम भाटिया द्वारा प्रार्थीया का जो चरित्र प्रमाण-पत्र जारी किया गया है उसमें प्रार्थीया का पता वार्ड नम्बर :-22/37 अंकित किया गया है, जो अपने आप में प्रमाणित करता है कि अपीलार्थीया वार्ड नम्बर 37 की निवासी नहीं है क्योंकि अगर अपीलार्थीया वार्ड नम्बर 37 की निवासी होती तो वार्ड पार्षद द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र वार्ड नम्बर 37 का ही जारी किया जाता।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय न्यायसंगत है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। लिहाजा अपील अपीलार्थीया खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग, श्री गंगानगर एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी सूरतगढ़ प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 30.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर